

25/11/2024

2020
00038

पञ्चवली प्रशासन गांवों के लिये कमिश्नर 2021 के तहत शा.प. दोसुन्डा या आरेजिय (वि.वि.) में निहायन हेतु लागू गई। हमारे पञ्चवली का कुल क्षेत्रफल जिनका जमीनगत ग्राम दोसुन्डा (नित आरजी सरमा 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901) की कुल 4 रकबा 444800 हे. भूमि की पत्करगती करतामे जाके हेतु आदेश क्रि. 1500-00 के अन्तर्गत पञ्चवली में लागू नकल नम्बर 2066-2069 अनुया. उक्त आरजीगत जमीनगत की समुदाय खेतवादी एक से दूरी रेकार्डे हैं। अतः जमीनगत (वि.) का जमीनगत पत्र अर्जिय धारा 128 पर 1895-1901 खीना किता जा का ग्राम दोसुन्डा (नित आरजी सरमा 911 से 917 एवं 1895 से 1901) कुल क्षेत्रफल 14 कुल रकबा 444800 हे. भूमि की बिना किरा के कच्चे में दखलनाजी किर सेटलमेंट नम्बरे अनुया. पत्करगती किर जाके के आदेश दिर जाते हैं। कमिश्नर शुल्क 1500-00 अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपए जमीनगत पत्र को में। पालगान तहसीलदार चि नोंडाठ को लिखा जावे कि पक्षकाराण को लिखित सूचना देका निम्नानुया. पत्करगती की जावे एवं पालगान रिपोर्ट न्यायलय में प्रस्तुत करें। पञ्चवली के सुमार हीका नम्बर ले कम हो।



(श्याम सुन्दर विश्नाई)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 चित्तौड़गढ़ (राज.)